उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या- 26/2017/ 185/अड़तीस-9-17-05(बजट)/16
लखनऊ : दिनांक-17 मई, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत लेखानुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-16/2017/142/अड़तीस-9-17-05(बजट)/16, दिनांक-24 अप्रैल, 2017 में मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-72 पर अंकित नोडल जनपद को जालौन किये जाने का अनुरोध मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई के पत्र संख्या-309/अभि0-वि0नि0/नोडल जनपद/2017-18, दिनांक-02.05.2017 द्वारा किया गया है।

2- अत: मुख्य विकास अधिकारी, जालौन द्वारा किये गये अनुरोधानुसार उक्त शासनादेश संख्या-16/2017/142/अड़तीस-9-17-05(बजट)/16, दिनांक-24 अप्रैल, 2017 के साथ संलग्न विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-72 को संशोधित करते हुये निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	**विधान परिषद सदस्य का नाम**	**निर्वाचन क्षेत्र का नाम**	**नोडल जनपद का नाम**	**अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)**
72	श्रीमती रमा निरंजन	झाँसी-जालौन-ललितपुर स्था0 प्रा0	जालौन	62.50

3- शासनादेश संख्या-16/2017/142/अड़तीस-9-17-05(बजट)/16, दिनांक-24 अप्रैल, 2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-24 अप्रैल, 2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26/2017/185(1)/अइतीस-9-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- जिलाधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
12- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
13- कोषाधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।